

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052020-219425 CG-DL-E-18052020-219425

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1352] No. 1352] नई दिल्ली, सोमवार, मई 18, 2020/वैशाख 28, 1942 NEW DELHI, MONDAY, MAY 18, 2020/VAISAKHA 28, 1942

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2020

का.आ. 1513(अ).—जबिक वैश्विक महामारी, कोविड-19 के कारण सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन लागू है और केन्द्र सरकार आवश्यक जांच करने के बाद नियोक्ताओं और कर्मचारियों के हाथों में नकद राशि प्रदान करने हेतु संतुष्ट है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 320(अ), दिनांक 9 अप्रैल, 1997 के माध्यम से प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना को संशोधित करने की आवश्यकता है;

अत: कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1952(1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उपर्युक्त जांच करने के बाद, उक्त अधिसूचना संख्या का.आ. 320 (अ) दिनांक 9 अप्रैल,1997 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत: -

उक्त अधिसूचना में खंड (iv) के बाद अनुसूची II में निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, नामत: -

"(V) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अधीन अन्य प्रतिष्ठानों, जैसा भी मामला हो, को छोड़कर किसी भी प्रतिष्ठान में इसके द्वारा माह मई, जून और जुलाई, 2020 के लिए देय वेतन के संबंध में।

यह प्रावधान किया जाता है कि यह खंड कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपने दिनांक 9 अप्रैल, 2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या सी-1/विविध/2020-21/खंड-II/भाग के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राहत के लिए पात्र प्रतिष्ठानों के लिए लागू नहीं होगा"!

[फा. सं. एस-35019/01/2020-एसएस-II]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

2079 GI/2020 (1)

नोट: मूल अधिसूचना का.आ. 320(अ), दिनांक 9 अप्रैल, 1997 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3. उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2020

S.O. 1513(E).—Whereas due to Covid-19 pandemic, lockdown Is in force across the country and the Central Government after making necessary inquiry is satisfied that to provide liquidity in the hands of employers and employees, there arises a need to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Labour published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section(ii) vide number S.O. 320(E), dated 9th April, 1997;

Therefore, in exercise of powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making aforesaid inquiry, hereby makes the following amendments in the said notification number S.O. 320 (E) dated the 9th April, 1997, namely:-

In the said notification, in SCHEDULE II, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:-

"(v) Any establishment, other than Central Public Sector Enterprises and State Public Sector Enterprises and other establishments owned by, or under the control of the Central Government or the State Government, as the case may be, in respect of wages payable by it for the months of May, June and July, 2020".

Provided that this clause shall not be applicable to the establishments eligible for relief under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana guidelines issued by the Employees' Provident Fund Organization vide its Office Memorandum No.C-1/Misc./2020-21/Vol.II/Pt. dated 9th April, 2020".

[F. No. S-35019/01/2020-SS-II)

R. K. GUPTA, Jt. Secv.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* S.O. 320 (E), dated 9th April, 1997.